

कार्यालय-निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक: शिविरा/माध्य/म.गां.अनु./प्रभाग-ब/अंग्रेजी माध्यम/संविदा भर्ती/66174/2022/188 दिनांक: 15.01.2023

सहायक अध्यापक, लेवल-प्रथम व सहायक अध्यापक, लेवल-द्वितीय संविदा भर्ती-2023 विज्ञप्ति

माध्यमिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत संचालित महात्मा गाँधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम) / राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में Rajasthan Contractual Hiring to Civil Posts Rules, 2022 के प्रावधानों के अनुसार गैर अनुसूचित क्षेत्र (NON TSP) में सहायक अध्यापक, लेवल-प्रथम एवं सहायक अध्यापक, लेवल-द्वितीय के पदों पर संविदा आधार पर भर्ती हेतु निम्नानुसार ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं :-

विज्ञापन संख्या-01/2022-23 दिनांक:- 15.01.2023

Website : www.education.rajasthan.gov.in/secondary

Email ID : mggescontractual@gmail.com

फोन नं. 0151- 2544043

1. राजस्थान सिविल सेवा पदों पर संविदा पर रखा जाना, नियम-2022 के प्रावधानों एवं राज्य सरकार के पत्रांक: प.4(15)शिक्षा-1/अं.मा.काडर/2022 जयपुर, दिनांक: 02.11.2022 के अनुसार गैर अनुसूचित क्षेत्र (NON-TSP AREA)के लिए सहायक अध्यापक, लेवल-प्रथम एवं सहायक अध्यापक, लेवल-द्वितीय (अंग्रेजी/गणित) के पदों पर सीधी भर्ती हेतु निर्धारित योग्यताधारी आवेदकों से ऑनलाईन आवेदन पत्र (Online Application Form) आमंत्रित किये जाते हैं। गैर अनुसूचित क्षेत्र (NON-TSP AREA) के पदों हेतु अनुसूचित क्षेत्र (TSP AREA) सहित सम्पूर्ण राजस्थान एवं राजस्थान राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थी भी पात्र होंगे।
2. गैर अनुसूचित क्षेत्र अन्तर्गत सहायक अध्यापक, लेवल-प्रथम एवं सहायक अध्यापक, लेवल-द्वितीय (अंग्रेजी/गणित) के विभिन्न पदों का विवरण निम्नानुसार है :-

| क्र.सं. | पदनाम | पदों की संख्या |
|---------|--|----------------|
| 1 | सहायक अध्यापक, लेवल-प्रथम | 6670 |
| 2 | सहायक अध्यापक, लेवल-द्वितीय (अंग्रेजी) | 1219 |
| 3 | सहायक अध्यापक, लेवल-द्वितीय (गणित) | 1219 |



गैर अनुसूचित क्षेत्र (NON-TSPAREA) अन्तर्गत विज्ञापित पदों का विषयवार/जिलेवार/वर्गवार पदों का विस्तृत विवरण संलग्न है। अभ्यर्थी <http://sso.rajasthan.gov.in> अथवा <http://recruitment.rajasthan.gov.in> वेबसाइट पर दिनांक 31.01.2023 से ऑनलाईन आवेदन कर सकेंगे।

3. ऑनलाईन आवेदन करने की अवधि-दिनांक: 31.01.2023 से दिनांक: 01.03.2023 के रात्रि 12:00 बजे तक। उक्त तिथि के पश्चात ऑनलाईन आवेदन का लिंक स्वतः ही निष्क्रिय हो जायेगा।
4. अभ्यर्थियों हेतु सामान्य निर्देश:-

1. राज्य सरकार के पत्रांक: प.4(15)शिक्षा-1/अं.मा.काडर/2022 जयपुर, दिनांक: 02.11.2022 के अनुसार सहायक अध्यापक, लेवल-प्रथम एवं सहायक अध्यापक, लेवल-द्वितीय (अंग्रेजी/गणित) के सम्बन्धित पदों हेतु विज्ञापित वर्गवार पदों की वरीयता सूची (Merit List) में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी को राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा, जिसकी वैधता समाप्त नहीं हुई हो, के लेवल-प्रथम/लेवल-द्वितीय में निम्नानुसार न्यूनतम प्राप्तांक प्रतिशत अर्जित करना अनिवार्य होगा:-

| क्र.सं. | श्रेणी | न्यूनतम उत्तीर्णांक % |
|---------|---|-----------------------|
| 1 | अनारक्षित/सामान्य | 60 |
| 2 | आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति | 55 |
| 3 | समस्त श्रेणी की विधवा एवं परित्यक्ता महिलाएं एवं भूतपूर्व सैनिक | 50 |
| 4 | दिव्यांग (निःशक्तजन) श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु | 40 |
| 5 | सहरिया आदिम जाति वर्ग(केवल बारां जिले हेतु) | 36 |

2. गैर अनुसूचित क्षेत्र की रिक्तियों के लिए अनुसूचित क्षेत्र सहित सम्पूर्ण राजस्थान एवं राजस्थान के बाहर के निवासी भी पात्र होंगे।
3. अभ्यर्थियों द्वारा निर्धारित तिथि तक ऑनलाईन आवेदन करना अनिवार्य होगा, किसी भी परिस्थिति में ऑफलाईन आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।
4. अभ्यर्थी को प्रत्येक पद/विषय हेतु पथक-पथक ऑनलाईन आवेदन निर्धारित करने से

5. आवेदक द्वारा सम्बन्धित पद हेतु एक से ज्यादा ऑनलाईन आवेदन करने पर अंतिम आवेदन पत्र मान्य होगा। अंतिम आवेदन में सूचनाएं अधूरी, अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण पाई जाती है, तो इसके लिये आवेदक स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. अभ्यर्थियों को ऑनलाईन आवेदन में शैक्षिक, प्रशैक्षिक परीक्षाओं एवं रीट (लेवल-1 के लिए रीट लेवल-1, 2021/2022 तथा लेवल-2 के लिए रीट लेवल-2, 2022) से संबंधित समस्त सूचनाएं (रोल नम्बर, प्राप्तांक, पूर्णांक, उत्तीर्ण करने का वर्ष, विश्वविद्यालय/बोर्ड का नाम, विषय/विषय समूह) भरनी अनिवार्य है।
7. अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन करते समय नियुक्ति हेतु समस्त जिलों की क्रमबद्ध प्राथमिकता (Preference) देनी अनिवार्य है। अभ्यर्थियों को गैरअनुसूचित क्षेत्र (NON-TSP AREA) के जिलों की प्राथमिकता के अनुसार 30 जिले भरने अनिवार्य होंगे।
8. सहायक अध्यापक, लेवल-प्रथम तथा सहायक अध्यापक, लेवल-द्वितीय (अंग्रेजी/गणित) के पद हेतु वांछित शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यताओं सहित, रीट जिसकी वैधता समाप्त नहीं हुई हो के क्रमशः लेवल-प्रथम व लेवल-द्वितीय में उत्तीर्ण होना अनिवार्य हैं। (विस्तृत विवरण बिन्दू संख्या-10 के अनुसार)
9. अभ्यर्थी को ऑनलाईन आवेदन में अपनी समस्त शैक्षिक एवं प्रशैक्षिक योग्यताओं से सम्बन्धित विवरण प्रविष्ट करना अनिवार्य होगा, जिसमें योग्यता उत्तीर्ण करने का वर्ष, संबंधित बोर्ड/विश्वविद्यालय, पूर्णांक, प्राप्तांक इत्यादि की सही एवं त्रुटिरहित प्रविष्टि अनिवार्य है। 04 वर्षीय समेकित पाठ्यक्रम की उपाधि के शैक्षिक विषयों के प्राप्तांक अलग से संगणित कर स्नातक के कॉलम में पूर्णांक एवं प्राप्तांक भरे जायेंगे एवं प्रशैक्षिक विषयों के प्राप्तांकों को अलग से संगणित कर बी.एड. के कॉलम में पूर्णांक और प्राप्तांक भरे जायेंगे।
10. विभाग द्वारा विज्ञापित जिलेवार पदों में कमी/वृद्धि की जा सकती हैं, इसके लिए पृथक से कोई विज्ञप्ति जारी नहीं की जावेगी।
11. आरक्षण की स्थिति एवं नियुक्ति प्रक्रिया राज्य सरकार के दिशा-निर्देशों एवं नवीनतम नियमों के अध्याधीन परिवर्तनीय होगी।
12. इच्छुक आवेदकों को निर्धारित आवेदन शुल्क जमा कराना होगा। निर्धारित शुल्क के अभाव में आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी।
13. यदि आवेदक के द्वारा ऑनलाईन आवेदन में जानबूझकर असत्य/गलत सूचनाएं अंकित की जाती हैं या कोई तथ्य छिपाता है, तो अभ्यर्थी को अपात्र घोषित करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

5. आवेदन शुल्क :-



RNS EDUCATION

आवेदक अपनी पात्रता के अनुरूप निम्नानुसार आवेदन शुल्क राज्य के निर्धारित ई-मित्र कियोस्क/जनसुविधा केन्द्र के माध्यम से जमा करायेंगे।

| क्र.सं. | विवरण | राशिरु.में |
|---------|---|------------|
| 1 | सामान्य वर्ग व क्रीमिलेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग एवं राजस्थान राज्य से भिन्न अन्य राज्यों के समस्त अभ्यर्थियों हेतु | 100/- |
| 2 | राजस्थान के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा नॉनक्रीमिलेयर श्रेणी के पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक हेतु | 70/- |
| 3 | राजस्थान के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं सहरिया आदिम जातिवर्ग के आवेदक हेतु | 60/- |
| 4 | राजस्थान राज्य के सभी वर्ग के दिव्यांग (निःशक्तजन) एवं जिनकी परिवारिक आय रु. 2.50 लाख से कम है उन आवेदक हेतु | 60/- |

नोट:-अभ्यर्थी शुल्क जमा कराने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि वे इस विज्ञप्ति के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित मापदण्डों के आधार पर आवेदन करने के पात्र हैं। आवेदन शुल्क जमा करवाने के बाद वापस नहीं लौटाया जायेगा तथा निर्धारित आवेदन शुल्क के अभाव में आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा, इस संबंध में आवेदन की अन्तिम तिथि के पश्चात किसी भी प्रकार का दस्तावेज/प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं होगा।

6. ऑनलाईन आवेदन प्रक्रिया :-

1. सहायक अध्यापक, लेवल-प्रथम व सहायक अध्यापक, लेवल-द्वितीय संविदा भर्ती, 2023 अन्तर्गत सहायक अध्यापक, लेवल-प्रथम एवं लेवल-द्वितीय के पद हेतु आवेदन करने हेतु अभ्यर्थी को www.sso.rajasthan.gov.in पर अपना पंजीयन करवाना अनिवार्य होगा, यदि अभ्यर्थी की **SSO ID** पूर्व में बनी हुई है तो उसी **ID** से आवेदन कर सकता है अन्यथा सक्त तेषमर्तन एण

भर्ती के लिंक पर आवेदन किया जा सकेगा। आवेदन पत्र राज्य के निर्धारित ई-मित्र कियोस्क/जनसुविधा केन्द्र/स्वयं के माध्यम से भर सकते हैं। आवेदन पत्र भरने वाले प्रत्येक आवेदक (चाहे आवेदक स्वयं ऑन-लाईन आवेदन करें या ई-मित्र/जन सुविधा केन्द्र से ऑन-लाईन करावें) को निर्धारित आवेदन शुल्क तथा 30/-रु. (जीएसटी अतिरिक्त) (ई-मित्र फीस/जनसुविधा) जमा करवाना होगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र को भरने के लिए अनुदेश विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध है।

2. ऑनलाईन आवेदन भरने से पूर्व विभाग द्वारा जारी विस्तृत विज्ञापित, राजस्थान सिविल सेवा पदों पर संविदा पर रखा जाना, नियम-2022 तथा इनके संबंध में समय-समय पर किये गये संशोधन का सावधानीपूर्वक अध्ययन कर स्वयं की पात्रता सुनिश्चित करने के उपरान्त ही आवेदन करें।
3. अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन अन्तिम रूप से SUBMIT करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि ई-मित्र/जनसुविधा केन्द्र/स्वयं द्वारा आवेदन पत्र में भरी गई समस्त प्रविष्टियां सही भरी हुई है। त्रुटिपूर्ण एवं असत्य/अपूर्ण प्रविष्टियों के लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा एवं अभ्यर्थी का आवेदन अस्वीकार कर दिया जावेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी, गलत सूचना या अपूर्ण आवेदन में सुधार हेतु किसी भी प्रकार का पत्र व्यवहार स्वीकार नहीं किया जावेगा। गलत सूचनाएं अंकित करने एवं कूटरचित दस्तावेजों के अपलोड करने पर अभ्यर्थी के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। आवेदक के द्वारा ऑनलाईन आवेदन में भरी गई प्रविष्टियों को प्रारम्भिक तौर पर सही मानकर विभाग द्वारा आगामी कार्यवाही की जायेगी।
4. ऑनलाईन आवेदन Submit होने के पश्चात उस आवेदन के क्रम में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन अनुज्ञेय नहीं होगा, यदि आवेदन में संशोधन अपेक्षित हो, तो उसे ऑन-लाईन नया आवेदन पत्र निर्धारित तिथि तक भरना होगा, साथ ही आवेदन Submit होने की सुनिश्चिता कर लें। आवेदन अन्तिम रूप से सबमिट नहीं होने पर अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
5. अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन पत्र में अपना स्वयं का मोबाईल नम्बर व ई-मेल आईडी एवं आधार नम्बर अंकित करे। ऑनलाईन आवेदन में अंकित मोबाईल नम्बर व ई-मेल आई.डी. बदलने/बन्द होने/नेटवर्क समस्या होने पर सूचनाएं प्राप्त नहीं होने पर अभ्यर्थी की स्वयं की जिम्मेदारी होगी।
6. अभ्यर्थी विभाग द्वारा निर्धारित समय सीमा में ऑनलाईन आवेदन की अन्तिम दिनांक का इन्तजार किये बिना ऑनलाईन आवेदन करे, अन्यथा किसी प्रकार की कोई नेटवर्क या अन्य समस्याओं के कारण आवेदन सबमिट नहीं करने पर विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होकर संबंधित अभ्यर्थी की जिम्मेदारी होगी।
7. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं सहरिया आदिमवर्ग/उत्कृष्ट खिलाडी/भूतपूर्व सैनिक/विधवा/परित्यक्ता/ दिव्यांग (निःशक्तजन) /अन्य वर्ग के अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन में अपने वर्ग का स्पष्ट रूप से उल्लेख निर्धारित कॉलम में करे अन्यथा ऑनलाईन आवेदन सबमिट करने की अन्तिम निर्धारित दिनांक के पश्चात किसी प्रकार का वर्ग परिवर्तन नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थियों को जो स्वयं के वर्ग का स्पष्ट उल्लेख नहीं करते है तो वर्ग विशेष का लाभ विज्ञापित पदों हेतु देय नहीं होगा एवं ऐसे अभ्यर्थी द्वारा जिस श्रेणी/वर्ग में ऑनलाईन आवेदन भरा है से संबंधित प्रमाण-पत्र/दस्तावेज यथा समय प्रस्तुत नहीं करने पर आवेदक/अभ्यर्थी का ऑनलाईन आवेदन पत्र निरस्त/रद्द/पात्रता निरस्त कर दी जायेगी।
8. विभाग द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र में भरी गई सूचनाओं के आधार पर ही अभ्यर्थियों की पात्रता जांच की जायेगी, यदि आवेदक द्वारा भरी गई सूचना के आधार पर वह अपात्र पाया जाता है तो उसका ऑनलाईन आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जायेगा जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी।
7. **जिलेवार पद:-** गैर अनुसूचित क्षेत्र (NON-TSP AREA)के अन्तर्गत सहायक अध्यापक, लेवल-प्रथम एवं सहायक अध्यापक, लेवल-द्वितीय (अंग्रेजी/गणित) के जिलेवार/वर्गवार विज्ञापित पदों का विस्तृत विवरण परिशिष्ट-"1 से 4" पर संलग्न है। जिलेवार विज्ञापित पदों में कमी/वृद्धि की जा सकती है।
8. **आरक्षण:-** नियुक्ति के संबंध में आरक्षण प्रावधानों का विस्तृत विवरण विज्ञापित के बिन्दु संख्या 12 पर उल्लेखित हैं।
9. **मानदेय:-** संविदा आधार पर नियुक्त किए जाने वाले अभ्यर्थियों को प्रतिमाह नियत मानदेय रूपये 16,900/- देय होगा एवं इसके अतिरिक्त अन्य कोई भत्ते यथा मकान किराया भत्ता, महंगाई भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, विशेष वेतन आदि देय नहीं होगा। **Rajasthan Contractual Hiring to Civil Posts Rules, 2022** के अन्तर्गत नियुक्त उपरोक्त सहायक अध्यापक, लेवल-प्रथम एवं सहायक अध्यापक, लेवल-द्वितीय (अंग्रेजी/गणित) को 09 वर्ष सेवा अवधि पूर्ण करने पर सहायक अध्यापक (लेवल-द्वितीय/प्रथम) ग्रेड-I पदनाम देते हुए प्रतिमाह नियत मानदेय रूपये 29,600/-देय होगा।

2/13

10. सहायक अध्यापक, लेवल-प्रथम एवं लेवल-द्वितीय संविदा भर्ती, 2022 के अन्तर्गत सहायक अध्यापक, लेवल-प्रथम एवं सहायक अध्यापक, लेवल-द्वितीय (अंग्रेजी/गणित) के पदों हेतु न्यूनतम शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यताएं:-

10.1 सहायक अध्यापक, लेवल-प्रथम हेतु शैक्षिक/प्रशैक्षिक/रीट अर्हताएं:-

(A) शैक्षिक अर्हता :-

न्यूनतम 50% अंकों सहित उमावि/समकक्ष परीक्षा अंग्रेजी माध्यम में उत्तीर्ण

(B) प्रशैक्षिक अर्हता :- Diploma in Elementary Education (D.El.Ed.) उत्तीर्ण।

(C) रीट अर्हता :-

न्यूनतम अंकों के साथ राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा (लेवल-प्रथम) 2021/2022 उत्तीर्ण।

10.2 सहायक अध्यापक, लेवल-द्वितीय (अंग्रेजी/गणित) हेतु शैक्षिक/प्रशैक्षिक/रीट अर्हताएं:-

(A) शैक्षिक अर्हता :-

न्यूनतम 50% अंकों सहित गणित/अंग्रेजी (संबंधित पद हेतु) वैकल्पिक विषय के साथ अंग्रेजी माध्यम में स्नातक।

(B) प्रशैक्षिक अर्हता :- Bachelor of Education (B.Ed.)/Diploma in Elementary Education (D.el.ed.)

(C) रीट अर्हता :-

न्यूनतम अंकों के साथ राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा (लेवल-द्वितीय) 2022 संबंधित विषय सहित उत्तीर्ण।

10.3 सहायक अध्यापक, लेवल-प्रथम एवं लेवल-द्वितीय के पदों हेतु प्रारम्भिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा (D.EL.ED.) अथवा शिक्षा में स्नातक (B.Ed.), सामान्य शिक्षा में (जो भी लागू हो) उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (एन.सी.टी.ई.) द्वारा मान्यता प्राप्त अध्यापक शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा/बी.एड. पाठ्यक्रम मान्य होगा।

10.4 सहायक अध्यापक, लेवल-प्रथम एवं सहायक अध्यापक, लेवल-द्वितीय (अंग्रेजी/गणित) के पदों पर निर्धारित शैक्षणिक योग्यताओं के न्यूनतम निर्धारित प्राप्तांक प्रतिशत के मापदण्डों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/सहरिया एवं विशेष योग्यजन वर्ग एवं सामान्य वर्ग की विधवा/परित्यक्ता महिला अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित अर्हक अंकों में नियमानुसार 5 प्रतिशत अंक की छूट देय होगी।

10.5 अभ्यर्थी द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने की निर्धारित अन्तिम दिनांक तक सभी न्यूनतम योग्यताएं (शैक्षणिक, प्रशैक्षणिक एवं राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा आदि) अर्जित करना अनिवार्य है। आवेदन की अन्तिम तिथि के पश्चात अर्जित योग्यता मान्य नहीं होगी, ऐसे अभ्यर्थी अपात्र होंगे।

11. नियुक्ति हेतु निरर्हता :-

i. राजकीय सेवा में नियुक्ति के लिए ऐसा अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा जिसके 01.06.2002 को या इसके पश्चात दो से अधिक संतानें हैं, परन्तु दो से अधिक संतानों वाले अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए तब तक निरर्हित नहीं समझा जायेगा जब तक कि उसकी संतानों की संख्या, जो 01.06.2002 को थी, में वृद्धि न हो, परन्तु यह और कि जहाँ किसी अभ्यर्थी के पूर्व के प्रसव से एक संतान हो किन्तु किसी पश्चातवर्ती एकल प्रसव से एकाधिक संतानें जन्म ले लें तो संतानों की कुल संख्या गिनते समय इस प्रकार जन्मी संतानें एक समझी जायेगी। परन्तु यह भी कि किसी आवेदक की संतानों की कुल संख्या की गणना करते समय ऐसी संतान की, जो पूर्वतर प्रसव से पैदा हुई हो और निःशक्त हो, गणना नहीं की जाएगी।

ii. कोई भी पुरुष अभ्यर्थी जिसके एक से अधिक जीवित पत्नियों हैं, सेवा में नियुक्ति के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि सरकार, इस बात का समाधान करने के पश्चात कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार हैं, इस नियम के प्रवर्तन से किसी भी अभ्यर्थी को छूट न दे दे।

iii. कोई भी महिला अभ्यर्थी जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जिसके पहले से ही कोई पत्नी है, सेवा में नियुक्ति के लिए तब तक पात्र नहीं होगी, जब तक कि सरकार इस बात का समाधान करने के पश्चात कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार है, इस नियम के प्रवर्तन से उस महिला अभ्यर्थी को छूट न दे दे।

iv. यदि अभ्यर्थी:-(a) अच्छे चरित्र का नहीं है, या (b) किसी भी अन्य पंचायती राज संस्था या किसी अन्य स्थानीय प्राधिकरण या राज्य या केन्द्रीय सरकार की सेवा से अपचार के कारण पदच्युत किया गया है, या (c) किसी ऐसे अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया है जिसमें नैतिक अधमता अन्तर्वलित है, या (d) किसी पंचायतीराज संस्था या किसी नगरपालिका का सदस्य है तो वे नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे।

v. कोई भी विवाहित अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति का पात्र नहीं होगा/होगी यदि उसके पति/पत्नी



RNS EDUCATION
News

स्पष्टीकरण:-

इस नियम के प्रयोजन के लिए "दहेज" का वही अर्थ है, जो दहेज प्रतिबंध अधिनियम, 1961(1961 को केन्द्रीय अधिनियम संख्या 28) में दिया गया है।

नोट:- उपरोक्त तथ्यों को छुपाने पर यदि अभ्यर्थी नियुक्ति प्राप्त कर लेता है तो उसकी नियुक्ति निरस्त कर दी जावेगी तथा वह विभागीय/कानूनी कार्यवाही का स्वयं उत्तरदायी होगा।

12. नियुक्ति हेतु आयु सीमा एवं आरक्षण प्रावधान-

12.1 आयु सीमा :-

राजस्थान सिविल सेवा पदों पर संविदा पर रखा जाना, नियम-2022 के नियम-6 के अनुसार आयु की दृष्टि से सहायक अध्यापक, लेवल-प्रथम व सहायक अध्यापक, लेवल-द्वितीय के पद पर आवेदन एवं नियुक्ति हेतु वही अभ्यर्थी पात्र होगा जिसकी आयु दिनांक: 01.01.2024 को 21 वर्ष से अन्यून हो तथा 40 वर्ष की आयु पूर्ण किया हुआ नहीं होना चाहिये। परन्तु जो व्यक्ति दिनांक: 31.12.2020 को आयु सीमा में था उसे दिनांक: 31.12.2024 तक आयु सीमा में माना जायेगा।

निम्नलिखित श्रेणी के अभ्यर्थियों को निम्नानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट देय है:-

- राजस्थान राज्य के मूल निवासी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं सहरिया वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिये ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट देय होगी।
- सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थियों एवं अन्य राज्यों की समस्त वर्ग की महिला अभ्यर्थियों को ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट देय होगी।
- राजस्थान राज्य के मूल निवासी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं सहरिया वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के लिये ऊपरी आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट देय होगी।
- भूतपूर्व सैनिकों के लिए अधिकतम ऊपरी आयु सीमा 50 वर्ष होगी।
- विधवाओं एवं तलाकशुदा महिलाओं के मामलों में अधिवार्षिकी आयु प्राप्ति तक कोई आयु सीमा नहीं होगी।

स्पष्टीकरण: उसे विधवा होने के मामले में सक्षम प्राधिकारी से जारी पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र देना होगा और तलाकशुदा होने के मामले में नियमानुकूल माननीय न्यायालय से जारी विवाह-विच्छेद की डिक्री प्रस्तुत करनी होगी।

- ऊपर उल्लेखित ऊपरी आयु सीमा ऐसे भूतपूर्व कैदी की दशा में जो अपनी दोषसिद्धि के पूर्व अधिक आयु का नहीं था और इन नियमों के अधीन नियुक्ति का पात्र था, मुक्त कारावास की अवधि के बराबर कालावधि तक शिथिल की जायेगी।
- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की अधिसूचना दिनांक: 14.10.2021 के अनुसार राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम-2018 के उपनियम 6-A के अनुसार सीधी भर्ती के पदों पर बैचमार्क निःशक्तजन अभ्यर्थियों को ऊपरी आयु में 5 वर्ष की छूट देय होगी एवं यह छूट उनके वर्ग के अनुसार ऊपरी आयु में देय छूट के अतिरिक्त होगी।

नोट:- उपरोक्त पैरा के प्रावधान i से vii तक पर वर्णित आयु सीमा में छूट के प्रावधान असंचयी (NonCumulative) है, अर्थात् दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को छोड़कर अन्य अभ्यर्थियों को उपरोक्त वर्णित किसी भी एक प्रावधान का अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जायेगा। एक से अधिक प्रावधानों को जोड़कर छूट का लाभ नहीं दिया जायेगा। आवेदक को इस विज्ञापन में दी गई आयु सीमा में छूट के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार की कोई न्यूनतम आयु एवं अधिकतम आयु संबंधी छूट नहीं दी जायेगी।

12.2 आरक्षण प्रावधान :

- कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र दिनांक: 26.07.2017 के अनुसार अनारक्षित पदों के विरुद्ध आरक्षित वर्ग (राजस्थान की आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/राजस्थान के अन्य पिछड़ा वर्ग/राजस्थान के अति पिछड़ा वर्ग/राजस्थान की अनुसूचित जाति/राजस्थान की अनुसूचित जनजाति/राजस्थान के सहरिया आदिम जाति वर्ग) के केवल वे ही आवेदक पात्र होंगे जिन्होंने शुल्क के अतिरिक्त किसी अन्य रियायत का लाभ नहीं उठाया है।
- सहायक अध्यापक, लेवल-प्रथम व सहायक अध्यापक, लेवल-द्वितीय संविदा भर्ती, 2023 अन्तर्गत जिलेवार/पदवार/वर्गवार विज्ञापित पदों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/अन्य पिछड़ा वर्ग नॉन क्रिमीलेयर/अति पिछड़ा वर्ग नॉन क्रिमीलेयर/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/विशेष योग्यजन/भूतपूर्व सैनिकों/उत्कृष्ट खिलाड़ियों/महिलाओं (विधवा एवं विवाह विच्छिन्न महिलाओं सहित) व बारां जिले के सहरिया आदिम जाति का नियमानुसार आरक्षण देय होगा।

- III. राजस्थान के अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के क्रीमिलेयर श्रेणी के अभ्यर्थियों को इस वर्ग हेतु आरक्षित पदों का लाभ देय नहीं है। ऐसी स्थिति में अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के क्रीमिलेयर श्रेणी के आवेदक सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी के रूप में आवेदन कर सकते हैं।
- IV. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं सहरिया आदिम जाति वर्ग के लिये आरक्षित पद केवल क्रमशः आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं सहरिया आदिम जाति वर्ग के अभ्यर्थियों जो राज्य के स्थाई निवासी है से ही भरे जायेंगे।
- V. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 1085/2013 बीर सिंह बनाम दिल्ली जल बोर्ड व अन्य में पारित निर्णय दिनांक: 30.08.2018 के अनुसार राजस्थान राज्य से भिन्न अन्य राज्यों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं सहरिया आदिम जाति वर्ग के अभ्यर्थियों को इन वर्गों हेतु आरक्षित पदों का लाभ देय नहीं होगा, अतः राजस्थान राज्य से भिन्न अन्य राज्य के समस्त आवेदक सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी के रूप में आवेदन कर सकते हैं।
- VI. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 8425/2013 रंजना कुमारी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित निर्णय दिनांक: 01.11.2018 एवं माननीय उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा डी बी स्पेशल अपील संख्या 1116/2018 राज्य सरकार व अन्य बनाम मंजू यादव व अन्य में पारित निर्णय दिनांक: 18.09.2018 के अनुसार राजस्थान राज्य में विवाह उपरान्त प्रवासित हुई आरक्षित वर्ग (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं सहरिया आदिम जाति) की महिला अभ्यर्थी को उनके वर्ग के आरक्षित पदों का लाभ देय नहीं होगा, अतः ऐसी महिला अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग के अन्तर्गत आवेदन करना होगा।
- VII. आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को ऑनलाईन आवेदन में अपनी श्रेणी से संबंधित कॉलम में संबंधित श्रेणी का अंकन करने पर ही उन्हें उस वर्ग का लाभ देय होगा।
- VIII. भूतपूर्व सैनिक एवं उत्कृष्ट खिलाड़ी कोटे के पदों पर केवल राजस्थान राज्य के अभ्यर्थियों को ही इन पद हेतु आरक्षित पदों का लाभ देय होगा एवं ऑनलाईन आवेदन में वांछित सूचना का अंकन करना अनिवार्य होगा। दिव्यांग (निःशक्तजन) अभ्यर्थियों को नियमानुसार आरक्षण का लाभ देय होगा।
- IX. राजस्थान राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जायेगा।

12.3 भूतपूर्व सैनिक सम्बन्धी प्रावधानः—

- I. भूतपूर्व सैनिकः—
- (क) प्रतिरक्षा (थल, जल, वायु सेना) सेवाओं से सेवा मुक्ति के समय आवेदक का चरित्र "अच्छा" से कम नहीं होना चाहिये जैसा कि उसकी सेवा मुक्ति में दर्शाया गया हो।
- (ख) प्रतिरक्षा रक्षा से सेवामुक्ति के पश्चात किसी आवेदक का चरित्र ऐसा होना चाहिये जो उसे नियोजन के लिये अर्हक बना दे।
- II. राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम-1988 के प्रावधानों के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों के लिए 12.5 प्रतिशत पद आरक्षित है। भूतपूर्व सैनिकों के लिए रिक्तियों का आरक्षण कार्मिक (क-ग्रुप-II) विभाग की अधिसूचना सं. एफ.5(18)डीओपी/ए-II/84 पार्ट II जयपुर, दिनांक: 07.12.22 एवं 12.12.2022 के अनुसार किया जायेगा।
- III. अभ्यर्थी का स्वयं भूतपूर्व सैनिक होना आवश्यक है, न कि उसका आश्रित या संबंधी का होना।
- IV. राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक: 17.04.2018 के अनुसार कोई व्यक्ति जो सेवानिवृत्त हो गया है या आगामी 01 वर्ष के भीतर-भीतर सेवानिवृत्त हो रहा है, सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त निराक्षेप प्रमाण-पत्र (NOC) के आधार पर अपनी पेंशन अर्जित करने के पश्चात् पद के लिए आवेदन करने का पात्र होगा, किन्तु उसे समुचित चयन अभिकरण को दस्तावेज सत्यापन के समय सेवानिवृत्त प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- V. कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक: 21.05.2019 के अनुसार जब किसी सैनिक द्वारा कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक: 17.04.2018 के तहत किसी पद हेतु आवेदन किया जाता है तो ऐसे भूतपूर्व सैनिक के सम्बन्ध में यदि उसका सेवानिवृत्ति आदेश जारी हो चुका है और उसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें सेवानिवृत्ति की तिथि (चाहे भविष्यवर्ती ही हो) का स्पष्ट उल्लेख हो, तो लिखित परीक्षा/मुख्य परीक्षा/साक्षात्कार/दस्तावेज सत्यापन जैसी भी स्थिति हो, की तिथि तक सेवानिवृत्ति आदेश प्रस्तुत कर दिये जाने पर उसे सेवानिवृत्ति का प्रमाण-पत्र माना जायेगा तथा इस आधार पर आवेदक को भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के लाभ देय होंगे। इस आदेश के आधार पर नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे

- VI. कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक: 22.12.2020 के अनुसार कोई व्यक्ति जो अपनी पेन्शन अर्जित करने के पश्चात सेवानिवृत्त हो गया है या आगामी 01 वर्ष के भीतर सेवानिवृत्त हो रहा है पर उसने सक्षम प्राधिकारी से निराक्षेप प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया है, पद के लिये आवेदन करने का पात्र होगा किन्तु पद ग्रहण से पूर्व उसे समुचित नियुक्ति प्राधिकारी के समक्ष सेवानिवृत्ति का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। यदि कोई भूतपूर्व सैनिक निराक्षेप प्रमाण-पत्र के आधार पर आवेदन करता है और वास्तविक सेवानिवृत्ति से पूर्व चयनित हो जाता है तो नियुक्ति प्राधिकारी पद ग्रहण की कालावधि को शिथिल कर सकेगा और उसे उसकी सेवानिवृत्ति के 02 माह की अवधि के भीतर-भीतर पद ग्रहण करने के लिये अनुज्ञात किया जायेगा। अनापति प्रमाण पत्र के आधार पर आवेदन किये जाने के पश्चात सेवानिवृत्ति के प्रमाण का प्रस्तुतिकरण के लिये 01 वर्ष की अवधि की गणना आवेदन पत्र की अन्तिम तिथि से की जायेगी।
- VII. कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार के पत्र क्रमांक: एफ.5(18)कार्मिक/क-2/84 पार्ट दिनांक: 30.10.2017 एवं अधिसूचना क्रमांक: एफ 5(18)डीओपी/क-2/84 पार्ट-4 दिनांक: 01.08.2021 के अनुसार भूतपूर्व सैनिक के संबंध में व्यक्ति जो राज्य में बसे हुए है, से व्यक्ति जो राजस्थान का मूल निवासी है अभिप्रेत है। उक्त अधिसूचना के अनुसार राजस्थान राज्य के मूल निवासी भूतपूर्व सैनिकों को ही भूतपूर्व सैनिक वर्ग का लाभ दिया जायेगा।
- VIII. किसी भूतपूर्व सैनिक द्वारा राज्य के अधीन किसी भी लोक सेवा में नियोजन स्वीकार कर लेने के बाद वह भूतपूर्व सैनिक के रूप में अपनी प्रास्थिति (Status) खो देगा और वह केवल लोकसेवक (Civil Employee) के रूप में ही माना जाएगा। अर्थात् भूतपूर्व सैनिक के रूप में देय आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के उपरान्त लोक सेवा के किसी पद पर पुर्नियोजन स्वीकार करते ही उसका भूतपूर्व सैनिक के रूप में कोई भी लाभ प्राप्त करने का अधिकार सामान्यतः समाप्त समझा जावेगा, परन्तु सीधी भर्ती के ऐसे पदों के संबंध में, जहां नियमों में निम्न पद का अनुभव भी निर्धारित किया गया है, किसी भूतपूर्व सैनिक द्वारा निम्न पद पर नियोजित होने के कारण, भूतपूर्व सैनिक के रूप में आरक्षण का अधिकार समाप्त हुआ नहीं समझा जायेगा परन्तु यह और कि यदि कोई भूतपूर्व सैनिक राजस्थान सरकार के अधीन किसी नियोजन को ग्रहण करने से पूर्व, विभिन्न पदों के लिये आवेदन करता है और संबंधित नियोजक को, राजस्थान सरकार के अधीन प्रारम्भिक पद ग्रहण करने से पूर्व, विभिन्न पद जिसके लिये उसने आवेदन किया है, के लिये आवेदन की तारीखवार ब्यूरो के बारे में स्वतः घोषणा पत्र/बचनबंध देता है तो ऐसे पदों पर नियुक्ति के लिये उसे भूतपूर्व सैनिक प्रवर्ग के फायदे से विवृजित नहीं किया जायेगा।
- IX. भूतपूर्व सैनिक जिसे राजस्थान सरकार के अधीन नैमित्तक/संविदा/अस्थाई/तदर्थ आधार पर पुनर्नियोजित किया गया है को भूतपूर्व सैनिक प्रवर्ग के फायदे से विवृजित नहीं किया जायेगा।

12.4 उत्कृष्ट खिलाड़ियों से संबंधित प्रावधान:-

- I. उत्कृष्ट खिलाड़ियों को आरक्षण राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक: एफ.5(31)डीओपी/ए-11/84 दिनांक: 21.11.2019 के अनुसार कुल रिक्तियों का 2 प्रतिशत देय होगा। उत्कृष्ट खिलाड़ियों के पदों का आरक्षण क्षैतिज (Horizontal) रूप से है अर्थात् आवेदक जिस वर्ग (सामान्य वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं सहरिया) का उपलब्ध होगा उसे उसी वर्ग के अन्तर्गत समायोजित किया जायेगा। आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त उत्कृष्ट खिलाड़ियों की अनुपलब्धता के कारण इन पदों को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जा सकेगा।
- II. उत्कृष्ट खिलाड़ी श्रेणी में केवल वे ही अभ्यर्थी आवेदन एवं नियुक्ति हेतु पात्र होंगे जो कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक: 21.11.2019 में वर्णित योग्यता रखता हो, इनसे भिन्न योग्यता रखने वाले अभ्यर्थी का उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिये आरक्षित पदों पर चयन पर विचार नहीं किया जायेगा।
- III. उत्कृष्ट खिलाड़ी से आशय:-

(क) कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक: एफ.5(31)डीओपी/ए-11/84 दिनांक: 21.11.2019 के अनुसार उत्कृष्ट खिलाड़ी से ऐसे खिलाड़ी अभिप्रेत है जो राजस्थान राज्य के मूल निवासी है एवं जिन्होंने निम्न सारणी में उल्लेखित अन्तर्राष्ट्रीय खेल संस्था द्वारा आयोजित खेलकूद के किसी अन्तर्राष्ट्रीय टूर्नामेन्ट/चैम्पियनशिप में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया हो:-

| क्र.सं. | अन्तर्राष्ट्रीय खेल संस्था | टूर्नामेन्ट/चैम्पियनशिप का नाम |
|---------|--|--------------------------------|
| 1 | अन्तर्राष्ट्रीय ओलम्पिक समिति (आई.ओ.सी.) | ओलम्पिक गेम्स (ग्रीष्मकालीन) |
| 2 | एशिया ओलम्पिक परिषद (ओ.सी.ए) | एशियन गेम्स |
| 3 | दक्षिण एशियन ओलम्पिक परिषद (एस.ए.ओ.सी) | दक्षिण एशियन गेम्स |

| | | |
|---|---|---|
| 4 | राष्ट्रमण्डल खेल परिसंघ (सी.जी.एफ) | राष्ट्रमण्डल गेम्स |
| 5 | अन्तर्राष्ट्रीय ओलम्पिक समिति से सम्बन्ध अन्तर्राष्ट्रीय खेल परिसंघ | विश्व कप/विश्व चैम्पियनशिप |
| 6 | एशिया ओलम्पिक परिषद से संबद्ध एशियन खेल परिसंघ | एशियन चैम्पियनशिप |
| 7 | अन्तर्राष्ट्रीय स्कूल खेल परिसंघ (आई.एस.एस.एफ) | अन्तर्राष्ट्रीय स्कूल गेम्स/चैम्पियनशिप |
| 8 | एशियन स्कूल खेल परिसंघ (ए.एस.एस.एफ) | एशियन स्कूल गेम्स/चैम्पियनशिप |

अथवा

स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इण्डिया द्वारा आयोजित किसी खेलकूद के किसी स्कूल नेशनल गेम्स में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में मेडल जीता हो।

अथवा

इण्डियन ओलम्पिक एसोसिएशन या इससे संबद्ध नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन (एन.एस.एफ) द्वारा आयोजित किसी खेलकूद के किसी राष्ट्रीय टूर्नामेन्ट/चैम्पियनशिप में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में मेडल जीता हो।

अथवा

एसोसिएशन ऑफ इण्डियन यूनिवर्सिटीज द्वारा आयोजित आल इण्डिया इन्टर युनिवर्सिटी के किसी खेलकूद में किसी व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में मेडल जीता हो।

अथवा

इण्डियन ओलम्पिक एसोसिएशन/पैरा ओलम्पिक कमेटी ऑफ इण्डिया या इससे संबद्ध नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन द्वारा आयोजित किसी खेलकूद की नेशनल चैम्पियनशिप/पैरा नेशनल चैम्पियनशिप या नेशनल गेम्स/नेशनल पैरा गेम्स में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया हो।

(ख) उत्कृष्ट खिलाड़ी श्रेणी में वे अभ्यर्थी पात्र होंगे जिनके द्वारा ऑनलाईन आवेदन की अंतिम निर्धारित दिनांक से पूर्व तक का खेल प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किये जायेंगे।

नोट-यहां यह ध्यान दें कि यदि किसी अभ्यर्थी ने जान-बूझकर बिना साक्ष्य सहित गलत आरक्षण श्रेणी अंकित की तो विभाग द्वारा अभ्यर्थी के विरुद्ध कार्यवाही भी की जा सकती है।

12.5 दिव्यांग (निःशक्तजन) अभ्यर्थियों के लिये प्रावधान :-

- I. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक: 23.01.2019 के द्वारा राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम-2018 लागू किये गये हैं, अतः उक्त नियमों के अनुसार विशेष योग्यजन अभ्यर्थियों को नियमानुसार आरक्षण देय होगा।
- II. राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम-2018 के नियम-6(2) बी के अन्तर्गत गठित समिति की बैठक दिनांक: 10.12.2021 में लिये गये निर्णयानुसार निम्नलिखित श्रेणी के विशेष योग्यजन को ही आरक्षण का लाभ देय होगा:-

1. सहायक अध्यापक, लेवल-प्रथम

| क्र.सं. | समूह | उपयुक्त बैचमार्क दिव्यांगता | देय आरक्षण प्रतिशत |
|---------|---|---|--------------------|
| 1 | (अ) दृष्टि बाधित | बी (नेत्रहीन), एल.वी. (कम दृष्टि) | 01 % |
| 2 | (ब) श्रवण बाधित | एच.एच. (ऊँचा सुनने वाला) | 01 % |
| 3 | (स) सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग, बौनापन, एसिड पीड़ित, मांसपेशियों की डिस्ट्रोफी सहित चलन-निःशक्तता | ओए. (एक भुजा), ओ.एल. (एक पैर), बीएल (दोनों पैर), ओएएल (एक भुजा और एक पैर), सीपी (प्रमस्तिष्किय पक्षाघात), एलसी (कुष्ठ उपचारित), डीडब्ल्यू (बौनापन), एएवी (एसिड हमला पीड़ित) | 01 % |
| 4 | (द) ऑटिज्म, बौद्धिक निःशक्तता, लर्निंग निःशक्तता एवं मानसिक रूग्णता | एसएलडी (विशिष्ट अधिगम अक्षमता), एमआई (मानसिक रूग्णता), | 01 % |
| 5 | (इ) बहु दिव्यांगता (एम.डी.) | एम.डी (बहु दिव्यांगता)(उपरोक्त अ से द मिलाकर) | |

2. सहायक अध्यापक, लेवल-द्वितीय (अंग्रेजी/गणित)

| क्र.सं. | समूह | उपयुक्त बैचमार्क दिव्यांगता | देय आरक्षण प्रतिशत |
|---------|------------------|-----------------------------------|--------------------|
| 1 | (अ) दृष्टि बाधित | बी (नेत्रहीन), एल.वी. (कम दृष्टि) | 01 % |
| 2 | (ब) श्रवण बाधित | एच.एच. (ऊँचा सुनने वाला) | 01 % |

| | | | |
|---|---|---|------|
| 3 | (स) सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग, बौनापन, एसिड पीड़ित, मांसपेशियों की डिस्ट्रोफी सहित चलन-निःशक्तता | ओ.ए. (एक भुजा), ओ.एल. (एक पैर), बी.एल. (दोनों पैर), ओ.ए.एल. (एक भुजा और एक पैर), सीपी (प्रमस्तिष्किय पक्षाघात), एलसी (कुष्ठ उपचारित), डीडब्ल्यू (बौनापन), एएवी (एसिड हमला पीड़ित) | 01 % |
| 4 | (द) ऑटिज्म, बौद्धिक निःशक्तता, लर्निंग निःशक्तता एवं मानसिक रुग्णता | एसएलडी (विशिष्ट अधिगम अक्षमता), एमआई (मानसिक रुग्णता), | 01 % |
| 5 | (इ) बहु दिव्यांगता (एम.डी.) | एम.डी (बहु दिव्यांगता)(उपरोक्त अ से द मिलाकर) | |

- III. दिव्यांगजन के लिये दर्शाये गये आरक्षित पदों का आरक्षण भी दण्डवत (Horizontal) होगा अर्थात् अभ्यर्थी जिस प्रवर्ग (सामान्य वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/सहरिया वर्ग) का होगा उसे उसी प्रवर्ग के अन्तर्गत समायोजित किया जावेगा।
- IV. राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम-2018 के अनुसार जहां किसी भर्ती वर्ष में कोई रिक्ति उपर्युक्त बैंचमार्क निःशक्तजन की अनुपलब्धता के कारण या किसी अन्य कारण से भरी नहीं जा सकी हो, तो ऐसी रिक्ति आगामी भर्ती वर्ष में अग्रेषित की जायेगी और यदि आगामी भर्ती वर्ष में भी उपर्युक्त बैंचमार्क निःशक्तजन उपलब्ध नहीं होता है तो नियोक्ता उस रिक्ति को निःशक्तजन के अलावा अन्य व्यक्ति से भर सकेगा।
- V. दिव्यांगजन आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन में यथास्थान पर अपने वर्ग एवं योग्यजन होने की श्रेणी विशेष का उल्लेख करने पर ही नियमानुसार सम्बन्धित वर्ग में आरक्षण का लाभ देय होगा।
- VI. ऐसे आवेदक जो दिव्यांगजन की श्रेणी में आते हैं, अपनी दिव्यांगजन होने के संबंध में राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम-2018 में वर्णित प्रक्रिया से प्रदत्त दिव्यांगजन होने का स्पष्ट प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम-2018 के अनुसार मेडिकल बोर्ड के द्वारा प्रदत्त निःशक्तता (दिव्यांगजन) का प्रमाण पत्र जो 40 प्रतिशत या इससे अधिक विशेष योग्यजन का होने पर ही आवेदक को दिव्यांग अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित पदों हेतु पात्र माना जावेगा।
- VII. इस श्रेणी में आरक्षण हेतु केवल स्थाई विशेष योग्यजनता को ही मान्य किया जाता है, अस्थायी विशेष योग्यजनता को नहीं।
- VIII. दिव्यांगजन अभ्यर्थी को निर्धारित चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त स्थाई दिव्यांगजन प्रमाण पत्र इस भर्ती में आवेदन करने की अंतिम तिथि से पूर्व का होना अनिवार्य है।
- IX. कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक: 14.10.2021 के अनुसार उपर्युक्त बैंचमार्क विशेष योग्यजन अभ्यर्थियों को ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष की अतिरिक्त छूट देय होगी।

12.6 महिला अभ्यर्थियों के लिये प्रावधान :-

- I. महिलाओं हेतु रिक्तियों का आरक्षण क्षैतिज (Horizontal) रूप से प्रवर्गानुसार (Categorywise) 30 प्रतिशत होगा। महिला अभ्यर्थियों का आरक्षण उस सम्बन्धित प्रवर्ग में जिसकी वे महिला अभ्यर्थी है, उसी में आनुपातिक रूप से समायोजित किया जावेगा।

स्पष्टीकरण:-

किसी वर्ग (सामान्य, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं सहरिया आदिम जाति वर्ग) की पात्र एवं उपयुक्त महिला अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर उस पद को उसी वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों से सामान्य प्रक्रियानुसार भरा जा सकेगा।

- II. (अ) पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/सहरिया वर्ग में आवेदन करने वाली विवाहित महिला आवेदक को अपने पिता के नाम, निवास स्थान एवं आय के आधार पर जारी नवीनतम प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। पति के नाम व आय के आधार पर जारी प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा एवं आरक्षित वर्ग के पद के लिये उसका आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।
(ब) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की विवाहित महिला आवेदक को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

- III. महिलाओं हेतु दर्शाये गये पदों में से नियमानुसार 08 प्रतिशत पद विधवा एवं 02 प्रतिशत पद परित्यक्ता (विवाह विच्छिन्न महिला) के लिये आरक्षित है। यदि पर्याप्त विधवा अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होती है तो विधवा के लिए आरक्षित पद को उसी श्रेणी की परित्यक्ता (विवाह विच्छिन्न महिला) से भरा जायेगा। इसी प्रकार यदि पर्याप्त परित्यक्ता अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होती है तो इनके लिए आरक्षित पद को उसी श्रेणी की विधवा महिला से भरा जायेगा। यदि विधवा एवं परित्यक्ता महिलाएं पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं होती है तो इनके लिये आरक्षित पद को उसी श्रेणी की सामान्य महिला से भरा जायेगा।

- IV. किसी वर्ग (सामान्य/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/सहरिया वर्ग) की पात्र एवं उपयुक्त विधवा/परित्यक्ता महिला (विवाह विच्छिन्न महिला) अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर उस पद को उसी वर्ग के वरीयता प्राप्त अन्य महिला अभ्यर्थियों से भरा जायेगा।
- V. किसी वर्ग में पर्याप्त संख्या में सामान्य/विधवा/परित्यक्ता महिलाएं उपलब्ध नहीं होने पर उस पद को उसी वर्ग के वरीयता प्राप्त पुरुष अभ्यर्थियों से भरा जायेगा।
- VI. विधवा आवेदक होने की स्थिति में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी पति की मृत्यु का प्रमाण-पत्र एवं परित्यक्ता महिला (विवाह-विच्छिन्न) आवेदक होने की स्थिति में सक्षम न्यायालय द्वारा जारी विवाह-विच्छेद की डिक्री/आदेश इस भर्ती में ऑनलाईन आवेदन की अन्तिम तिथि से पूर्व का होना अनिवार्य है।
- VII. राजस्थान राज्य में अन्य राज्यों से विवाह उपरान्त राजस्थान में प्रवासित एवं स्थाई निवास करने वाली आरक्षित वर्ग की महिला अभ्यर्थियों को महिलाओं हेतु उस वर्ग में आरक्षित पदों का लाभ देय नहीं होगा ऐसे अभ्यर्थी सामान्य महिला अभ्यर्थी के रूप में आवेदन करे।
- VIII. राजस्थान राज्य से भिन्न अन्य राज्यों की महिला अभ्यर्थियों को सामान्य महिला अभ्यर्थी के रूप में कन्सीडर किया जायेगा, अतः ऐसी महिलाएं अनारक्षित पदों के विरुद्ध सामान्य महिला के रूप में आवेदन करे।

13. अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र के संबंध में प्रावधान :-

- I. अभ्यर्थियों को वर्ग विशेष हेतु आरक्षित पदों का लाभ तभी देय होगा जब उनके मूल दस्तावेजों की जांच उपरान्त अभ्यर्थी नियमानुसार नियुक्ति हेतु पात्र है।
- II. आरक्षित पदों हेतु अभ्यर्थियों को राजस्थान राज्य में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र एवं जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने अनिवार्य होंगे।
- III. **जाति प्रमाण-पत्र की वैधता अवधि :- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जाति प्रमाण- पत्र दिशा-निर्देश दिनांक: 09.09.2015 के अनुसार :-**
 - A. अनुसूचित जाति/जनजाति के लिये जारी किये गये जाति प्रमाण-पत्रों की अवधि जीवन पर्यन्त होगी जबकि ओबीसी के लिये संबंधी प्रमाण-पत्र एक बार ही जारी किया जावेगा परन्तु क्रिमीलेयर में नहीं होने संबंधी तथ्य को तीन वर्ष के विधि सम्मत शपथ-पत्र के आधार पर मान्यता दी जायेगी।
 - B. क्रिमीलेयर में नहीं होने संबंधी प्रमाण-पत्र एक वर्ष के लिए मान्य होगा एक बार क्रिमीलेयर में नहीं होने का प्रमाण-पत्र जारी होने के उपरान्त अगर प्रार्थी आगामी वर्ष में भी क्रिमीलेयर में नहीं है तो ऐसी स्थिति में उससे सत्यापित शपथ-पत्र लेकर पूर्व में जारी प्रमाण-पत्र को ही मान लिया जावे ऐसा अधिकतम तीन वर्ष तक किया जा सकता है।
 - C. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के परिपत्र दिनांक: 21.06.2019 के अनुसार अति पिछड़ा वर्ग में वर्णित जातियों को अन्य पिछड़ा वर्ग की जाति प्रमाण-पत्र के आधार पर ही अति पिछड़ा वर्ग का लाभ देय होगा।
- IV. अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के प्रमाण पत्र में निवास स्थान एवं क्रिमीलेयर एवं नॉन क्रिमीलेयर की प्रविष्टियां सही एवं पूर्ण रूप से भरी हुई हो एवं नियमानुसार नवीनतम जारी किये हुए प्रमाण पत्र मान्य होंगे।
- V. अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग का नवीनतम प्रमाण पत्र जो पिता के नाम, निवास एवं आय के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया हुआ हो, प्रस्तुत करने पर ही उस वर्ग का लाभ देय होगा। पति के नाम, निवास एवं आय के आधार पर जारी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।
- VI. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/सहरिया आदिम जाति का प्रमाण पत्र नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जारी किया हुआ होना चाहिये, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/सहरिया आदिम जाति की विवाहित महिला आवेदक को इन वर्गों के लिये आरक्षित पदों का लाभ प्राप्त करने हेतु अपने पिता के नाम व निवास के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा नियमानुसार जारी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही उस वर्ग का लाभ देय होगा। पति के नाम, निवास के आधार पर जारी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।
- VII. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जारी Income & Asset Certificate प्रस्तुत करना होगा। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को जारी किये जाने वाले Income & Asset Certificate की वैधता के संबंध में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के परिपत्र क्रमांक: एफ 11()/आ.क.व./डीडीवीसी/सान्याअवि/19/28046



उपरान्त अगर प्रार्थी आगामी वर्ष में भी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए निर्धारित मापदण्डों के अनुसार पात्र है तो ऐसी स्थिति में प्रार्थी से सत्यापित संलग्न शपथ-पत्र के आधार पर पूर्व में जारी Income & Asset Certificate को ही मान लिया जावेगा, ऐसा अधिकतम 03 वर्ष के लिए किया जा सकता है।

- VIII. सहायक अध्यापक, लेवल-प्रथम व सहायक अध्यापक, लेवल-द्वितीय (अंग्रेजी/गणित) के पद पर नियुक्ति हेतु निर्धारित शैक्षिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता से संबंधित परीक्षाएं ऑनलाईन आवेदन की निर्धारित अन्तिम दिनांक से पूर्व उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। दस्तावेज सत्यापन के समय शैक्षिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता, आयु, वैवाहिक स्थिति, परित्यक्तता, भूतपूर्व सैनिक, उत्कृष्ट खिलाड़ी, विशेष योग्यजन संबंधी मूल दस्तावेज प्रस्तुत करने अनिवार्य होंगे।
- IX. भूतपूर्व सैनिकों के पदों हेतु आरक्षित पदों का लाभ ऑनलाईन आवेदन की अन्तिम निर्धारित दिनांक से पूर्व का सक्षम स्तर से जारी सेवानिवृत्ति प्रमाण पत्र/एन.ओ.सी. का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही देय होगा।
- X. उत्कृष्ट खिलाड़ियों के पदों हेतु सक्षम स्तर से जारी खेल प्रमाण पत्र जो ऑनलाईन आवेदन की अन्तिम निर्धारित दिनांक से पूर्व का हो का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही उत्कृष्ट खिलाड़ी कोटे के पदों का लाभ देय होगा।
- XI. विधवा श्रेणी में आवेदन करने वाली महिला अभ्यर्थी के पास पति का मृत्यु प्रमाण पत्र एवं पति के नाम से लिंक ऐसा दस्तावेज/साक्ष्य जिसमें उसके पति का नाम अंकित हो यथा विवाह प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र पति के नाम से जारी मूल निवास/जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे।
- XII. परित्यक्ता/विवाह विच्छिन्न श्रेणी में आवेदन करने वाली महिला अभ्यर्थी के द्वारा आवेदन करने की अन्तिम तिथि से पूर्व का माननीय न्यायालय द्वारा जारी विवाह विच्छेद की डिक्री/आदेश प्रस्तुत करने पर ही इस श्रेणी हेतु पात्र माना जायेगा।
- XIII. शासन के परिपत्र क्रमांक:पं.6(19)गृह-13/2006 दिनांक: 22.05.2006 से राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु विवाह-पंजीयन करवाया जाना अनिवार्य किया गया है अतः इस संबंध में विवाह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना वांछनीय है।
- XIV. विवाहित महिलाओं के लिये संतान संबंधी घोषणा प्रस्तुत करना अनिवार्य है एवं विधवा और परित्यक्ता श्रेणी की महिलाओं को ऑनलाईन आवेदन की अंतिम दिनांक तक पुनर्विवाह नहीं किये जाने संबंधी या विधवा/परित्यक्ता श्रेणी में होने संबंधी शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- XV. अभ्यर्थी को अंतिम शैक्षणिक संस्था द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र यथा समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, जिसमें चरित्र के संबंध में कम से कम "अच्छा" का उल्लेख/अंकित होना आवश्यक होगा। अभ्यर्थी को दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा जारी नवीनतम चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने अनिवार्य है।
- XVI. अभ्यर्थी को चयन उपरान्त आचरण संबंधी पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र यथा समय नियुक्ति प्राधिकारी को प्रस्तुत करना होगा जिसमें आवेदक के विरुद्ध ऐसी किसी आपराधिक धारा का उल्लेख नहीं होना चाहिये जिससे राज्य सेवा में नियुक्ति में बाधा/समस्या उत्पन्न हो। किसी आपराधिक प्रकरण में दोष सिद्ध होने या प्रकरण/वाद न्यायिक रूप से विचाराधीन होने पर कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक: प (1) कार्मिक/क-2/2016 दिनांक: 04.12.2019 के प्रावधानुसार अभ्यर्थी की पात्रता का निर्धारण किया जायेगा।
- XVII. अभ्यर्थी को चयन उपरान्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा जांच संबंधी चिकित्सा प्रमाण पत्र यथासमय नियुक्ति प्राधिकारी को प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, कि वह पूर्ण रूप से स्वस्थ है एवं राज्य सेवा के लिये पूर्णतः उपयुक्त है।
- XVIII. ऐसे आवेदक जो पहले से राजकीय सेवा में हो, या राजकीय औद्योगिक उपक्रमों में हो, या किसी प्रकार के अन्य संगठनों में हो, या गैर सरकारी संस्था में नियुक्त हो, उन्हें नियुक्ति के समय अपने नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र नियुक्ति अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा। जो आवेदक पहले से ही राजकीय सेवा/उक्त उपक्रमों में कार्यरत हैं, उन्हें अपने नियोक्ता को इस भर्ती हेतु आवेदन करने की लिखित सूचना दी जाकर अनापत्ति प्राप्त कर लेना चाहिये। संबंधित नियुक्ति अधिकारी के अनापत्ति प्रमाण-पत्र के अभाव में अभ्यर्थी को पूर्व सेवा से त्याग-पत्र देकर नव-नियुक्ति के समय त्याग-पत्र स्वीकार करने सम्बन्धी आदेश प्रस्तुत करना होगा।
- XIX. उक्त समस्त प्रमाण पत्र ऑनलाईन आवेदन की अन्तिम निर्धारित दिनांक से पूर्व के जारी होने अनिवार्य है, ऑनलाईन आवेदन की अंतिम निर्धारित दिनांक के पश्चात का प्रमाण पत्र होने पर वर्ग विशेष का लाभ देय नहीं होगा।

XX. अभ्यर्थी की श्रेणी/वर्ग के सम्बन्ध में उसकी पात्रता का मूल्यांकन आवेदन की अन्तिम तिथि तक जारी प्रमाण-पत्र के आधार पर किया जाएगा।

परन्तु यदि किन्हीं कारणों से अभ्यर्थी द्वारा आवेदन की अन्तिम तिथि तक जारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है तथा अन्तिम तिथि के पश्चात् जारी किया हुआ प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी से इस आशय का एक शपथ-पत्र लिया जायेगा कि वह आवेदन की अन्तिम तिथि को संबंधित वर्ग की पात्रता रखता था तथा यह सूचना गलत पाये जाने पर उसकी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी।

XXI. आवेदक को द्वारा ऑनलाइन आवेदन पर उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर ही अभ्यर्थियों की पात्रता जांच की जायेगी, अतः इस संबंध में पात्रता संबंधी समस्त उत्तरदायित्व स्वयं आवेदक का होगा। पात्रता संबंधी दस्तावेजों की जांच के समय पात्र नहीं पाये जाने पर वह अभ्यर्थी अपात्र माना जायेगा, जान बूझकर गलत सूचना भरे जाने की स्थिति में आवेदक के विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्यवाही की जावेगी।

XXII. किसी भी प्रतियोगी/पात्रता परीक्षा में वंचित (Debar) किये गये आवेदक जिनके वंचित (Debar) होने की अवधि आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक तक समाप्त नहीं हुई है, इस भर्ती हेतु आवेदन नहीं कर सकते।

14. **चयन प्रक्रिया** :-राज्य सरकार के पत्रांक: प.4(15)शिक्षा-1/अं.मा.काडर/2022 जयपुर दिनांक: 02.11.2022 के निर्देशानुसार "वरीयता" एवं "चयन सूची" तैयार करने हेतु निम्न प्रक्रिया अपनायी जाएगी:-

- आशार्थियों द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्रों में भरे गये प्राप्तियों, सूचनाओं के आधार पर पूर्णतः अस्थाई वरीयता का निर्धारण उक्त पद की न्यूनतम वांछित शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तियों का 75% एवं न्यूनतम वांछित प्रशैक्षणिक योग्यता के प्राप्तियों का 25% अंकभार जोड़ कर प्राप्त कुल प्राप्तियों के आधार पर निदेशालय स्तर पर किया जाएगा।
- समान प्राप्तियों के एक से अधिक आशार्थी होने पर अधिक आयु के अभ्यर्थी को वरीयता क्रम में ऊपर रखा जाएगा तथा न्यून आयु के अभ्यर्थी को वरीयता क्रम में नीचे रखा जाएगा।
- आयु भी समान होने पर न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में जिसके अंक अधिक है, उसे वरीयता क्रम में ऊपर रखा जाएगा तथा जिसके अंक कम है उसे वरीयता क्रम में नीचे रखा जाएगा।
- उक्तानुसार तैयार की गई पूर्णतः अस्थाई वरीयता सूची के आधार पर सम्बन्धित पद की (पदानुसार) वर्गवार रिक्तियों के 02 गुना अभ्यर्थियों की शॉर्ट लिस्टेड सूची दस्तावेज सत्यापन हेतु तैयार की जाएगी।
- शॉर्ट लिस्टेड सूची के अभ्यर्थियों के आवेदन पत्रों में भरी गई सूचनाओं, प्राप्तियों एवं वांछित दस्तावेजों के सत्यापन एवं पात्रता की जांच की कार्यवाही सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा द्वारा की जाएगी।
- दस्तावेज सत्यापन की कार्यवाही के उपरान्त पात्र पाए गए अभ्यर्थियों की वर्गवार विज्ञापित पदों के अनुसार कट-ऑफ जारी कर उनकी मेरिट एवं सूची जारी की जाएगी।
- दस्तावेज सत्यापन का एक अवसर देने के बाद जो अभ्यर्थी अनुपस्थित रहता है तो बाद में उसके दावे को स्वीकार नहीं किया जाएगा, जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- दस्तावेज सत्यापन में पात्र अभ्यर्थियों को लेवलवार विज्ञापित पदों के अनुसार अन्तिम रूप से चयन कर चयन सूची उनकी मेरिट, चयन वर्ग के आधार पर जारी की जाएगी।
- चयनित अभ्यर्थियों को सम्बन्धित जिले के जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा द्वारा काउंसिलिंग प्रक्रिया द्वारा प्राथमिकता क्रम में केवल ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम)/राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में नियुक्त किया जाएगा।

15. **अन्य शर्तें:-**

- संविदा आधार पर प्रथम नियुक्ति अधिकतम एक वर्ष अनधिक अवधि के लिए अथवा योजना/परियोजना की समाप्ति, जो भी पहले हो, तक के लिए की जाएगी। यदि राज्य सरकार द्वारा उक्त अवधि को बढ़ाया जाता है तो प्रति एक वर्ष पश्चात् कार्य समीक्षा उपरान्त सन्तोषप्रद सेवा होने पर ही बढ़ाया जा सकेगा।
 - संविदा पर नियुक्ति, संविदा पर कालावधि के अवसान पर स्वतः समाप्त हो जाएगी और सेवा समाप्ति के लिए पृथक से आदेश जारी करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी।
- बप विभाग की आवश्यकता अनुसार इन पदों को बढ़ाया या घटाया जा सकता है, रिक्त रखा जा सकता है, आस्थगित रखा जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है। पद समाप्ति से संविदा पर लगाये गये कार्मिक किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति के हकदार नहीं होंगे।

d. संविदा आधार पर लगाए गए सहायक अध्यापक एक पद से दूसरे पद पर स्थानान्तरण हेतु पात्र नहीं होंगे।

e. संविदा कर्मी:-

- प्रतिवर्ष 1500/-रूपये से अनधिक की मेडि-क्लेम पॉलिसी प्रीमियम के पुनर्भरण।
- प्रतिवर्ष 500/-रूपये से अनधिक की दुर्घटना बीमा पॉलिसी प्रीमियम के पुनर्भरण।
- मासिक एक मुश्त संविदा पारिश्रमिक के अधिकतम 10% के अध्यधीन रहते हुए, उसके द्वारा जमा किये गए अभिदाय के 50% के बराबर नई पेंशन स्कीम (N.P.S.) में सरकार के अभिदाय,

का हकदार होगा।

f. संविदाकर्मी को कोई भी तदर्थ बोनस देय नहीं होगा।

g. आय पर टी.डी.एस. यदि बकाया हो तो, संविदात्मक पारिश्रमिक से काटा जाएगा।

h. यदि नियुक्ति प्राधिकारी इन नियमों के अधीन नियुक्त किए गए संविदाकर्मी की सेवाओं से सन्तुष्ट न हो या यह विश्वास करता है कि किसी कारण से उसकी सेवाएँ अब आवश्यक नहीं हैं तो, नियुक्ति प्राधिकारी तीन माह का नोटिस या नोटिस कालावधिक का मानदेय देते हुए उसकी सेवाएँ समाप्त कर सकेगा। इस सम्बन्ध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अन्तिम होगा।

16. संविदा पर नियुक्त कार्मिकों के दायित्व

संविदा आधार पर नियुक्त किए गए सहायक अध्यापकों के पदीय दायित्व निम्नानुसार होंगे:-

| क्र.सं. | पदनाम | पदीय दायित्व |
|---------|--|---|
| 01 | सहायक अध्यापक (लेवल-प्रथम) | <ol style="list-style-type: none"> महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम)/राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में कक्षा-01 से 05 तक शिक्षण कार्य एवं मूल्यांकन कार्य करना तथा संस्था प्रधान द्वारा विनिर्दिष्ट शिक्षण कार्य। प्राचार्य द्वारा समय-समय पर सौंपे जाने वाले समस्त कार्य करना। |
| 02 | सहायक अध्यापक (लेवल-द्वितीय) (अंग्रेजी/गणित) | <ol style="list-style-type: none"> महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम)/राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में कक्षा-06 से 08 तक अंग्रेजी/गणित विषय का शिक्षण कार्य एवं मूल्यांकन कार्य करना तथा संस्था प्रधान द्वारा विनिर्दिष्ट शिक्षण कार्य। प्राचार्य द्वारा समय-समय पर सौंपे जाने वाले समस्त कार्य करना। |

17. अभ्यर्थी को चयन होने पर निम्नांकित प्रारूप में शपथ पत्र आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा।

17.1 आवेदक द्वारा शपथ-पत्र

मैं पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री(नाम) घोषणा करता/करती हूँ कि :-

- मैंने राजस्थान सिविल सेवा पदों पर संविदा पर रखा जाना, नियम-2022 नियमों के लिए निर्धारित सामान्य निर्देशों का अध्ययन कर लिया है। जिनकी पालना करने के लिए मैं बाध्य हूँ।
- मैं किसी भी स्थिति में जमा शुल्क लौटाने के लिए नहीं कहूँगा/कहूँगी।
- मुझे किसी भी अपराधिक कृत्य के लिए किसी भी न्यायालय ने कभी दण्डित नहीं किया है। पूर्व आयोजित प्रतियोगी/पात्रता परीक्षाओं में अनुचित साधन प्रयुक्त करने पर अयोग्य घोषित नहीं किया गया है। मेरे विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई आपराधिक प्रकरण लम्बित नहीं है।
- (अ) किसी गलती या विवाद की स्थिति में पहले मैं प्रकरण संबंधी पूर्ण वस्तुस्थिति के साथ निदेशालय माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर में प्रतिवेदन भेजूँगा/भेजूँगी और 30 दिवस में मामले का निस्तारण न होने के पश्चात् ही न्यायालय से न्याय प्राप्ति हेतु कार्यवाही करूँगा/करूँगी।
(ब) यदि मैंने अकारण अथवा वास्तविक तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर निदेशालय के विरुद्ध न्यायालय में कोई वाद दायर किया तो निदेशालय को समुचित मुआवजा देने को बाध्य होऊँगा/होऊँगी।
- मैं राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त निर्देशानुसार नियुक्ति की पात्रता रखता/रखती हूँ।
- मेरे द्वारा भरे आवेदन-पत्र के साथ संलग्न समस्त दस्तावेजों में यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि मैं न्यूनतम योग्यता नहीं रखता/रखती हूँ अथवा दस्तावेज फर्जी पाये जाते हैं या झूठा शपथ-पत्र दिया गया है तो मैं राज्य सरकार द्वारा अध्यापक पद के लिये विज्ञापित किसी भी नियुक्ति के लिये अयोग्य माना जाऊँगा/मानी जाऊँगी।

7. अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग से सम्बन्धित प्रमाण पत्र वैध अवधि का है।
8. आवेदन पत्र में कमी, त्रुटि होने, तथ्य छिपाने, गलत तथ्य देने की वजह से आवेदन पत्र/पात्रता नहीं रखने पर किसी भी स्तर पर निरस्त किये जाने हेतु मेरी सहमति है।
9. ऑनलाईन भरा गया आवेदन-पत्र, घोषणा पत्र, शपथ-पत्र एवं सम्बन्धित दस्तावेज स्वयं के पास सुरक्षित रखूंगा/रखूंगी, जिन्हें कार्यालय द्वारा मंगवाये जाने पर निर्देशानुसार जमा करा दूंगा/दूँगी।
10. मेरे मूल दस्तावेजों का अंतिम सत्यापन नियुक्ति देने वाली संस्था द्वारा किया जायेगा। यदि इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि या कमी अथवा कोई तथ्य गलत पाया जाये तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी मेरी होगी।
11. मैं इस तथ्य से भली भाँति अवगत हूँ कि निर्धारित पात्रता प्राप्त होने अथवा योग्यता सूची में शामिल होने से ही मुझे सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा।
12. मुझे यह जानकारी है कि मैं पात्रता प्राप्त करने के बावजूद सम्बन्धित शिक्षक पाठ्यक्रम (बी.एड./बी.एस.टी.सी.) उत्तीर्ण होने पर ही संविदा आधार पर सहायक अध्यापक रखे जाने हेतु पात्र माना जाऊँगा/जाऊँगी।
13. मैं इस तथ्य से भली भाँति अवगत हूँ कि मेरे किसी भी दस्तावेज का इस भर्ती से पूर्व सत्यापन नहीं किया गया है। समस्त वांछित मूल दस्तावेज मैं नियुक्ति के समय नियोक्ता संस्था के समक्ष प्रस्तुत कर दूँगा/दूँगी।
14. मैं इस तथ्य से भली भाँति अवगत हूँ कि भर्ती हेतु मेरिट लिस्ट में शामिल होना भर्ती के लिए एक आवश्यक न्यूनतम मापदण्ड है। मात्र इस कारण से मुझे सहायक अध्यापक, लेवल-प्रथम/सहायक अध्यापक, लेवल-द्वितीय (अंग्रेजी/गणित) पद पर नियुक्ति का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा।

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

स्थान :
दिनांक :
फोन नम्बर मय कोड :
मोबाईल नम्बर :

नाम :
पता :

स्व-सत्यापन

मैं..... पुत्र/पुत्री/पत्नीश्रीउम्र..... जाति.....
निवासी..... व्यवसाय..... सत्यापन करता/करती हूँ कि उक्त शपथ-पत्र में अंकित सभी कथन मेरी जानकारी एवं निष्ठा के अनुसार सही एवं सत्य हैं। इसमें मैंने कोई भी तथ्य नहीं छिपाया है।

हस्ताक्षर:-

अभ्यर्थी का नाम :
मोबाईल नम्बर :

17.2 आवेदन पत्र के साथ संलग्नकों की सूची


संविदा भर्ती में अभ्यर्थियों से अपने मूल ऑनलाईन आवेदन-पत्र, घोषणा पत्र तथा शपथ-पत्र एवं अन्य सम्बन्धित दस्तावेजों की सत्यापित प्रतियां जमा करवाई जाएगी। अतः इस सम्बन्ध में सूचना समाचार-पत्रों के माध्यम से यथासमय प्रकाशित करवा दी जायेगी।

| क्र. सं. | दस्तावेज/प्रमाण-पत्र का नाम | संलग्न सं. |
|----------|---|------------|
| 1 | ऑनलाईन आवेदन की प्रति | |
| 2 | शपथ पत्र (उपरोक्त निर्धारित प्रारूप में) | |
| 3 | सैकण्डरी/समकक्ष की अंकतालिका की प्रमाणित प्रति। | |
| 4 | सीनियर सैकण्डरी/समकक्ष की अंकतालिका की प्रमाणित प्रति। | |
| 5 | स्नातक/समकक्ष की अंकतालिका की प्रमाणित प्रति। | |
| 6 | स्नातकोत्तर की अंकतालिका की प्रमाणित प्रति। | |
| 7 | प्रारम्भिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा (D.EL.ED.)/समकक्ष अथवा शिक्षा में स्नातक(B.Ed.)/समकक्ष (जो भी लागू हो) की अंकतालिका की प्रमाणित प्रति। | |
| 8 | REET जिसकी वैधता समाप्त नहीं हुई हो, का प्रमाण पत्र। | |
| 9 | मूल निवास प्रमाण-पत्र की प्रमाणित प्रति। | |
| 10 | आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जारी Income & Asset Certificate | |
| 11 | जाति प्रमाण-पत्र (पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/सहरिया आदिम जाति) की प्रमाणित प्रति। नोट:- पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के लिए वैध अवधि का प्रमाण पत्र हो। | |
| 12 | विधवा की स्थिति में स्वयं का शपथ-पत्र एवं पति की मृत्यु का प्रमाण-पत्र की प्रमाणित प्रति, पति से लिक दस्तावेज/साक्ष्य की प्रति व पुर्नविवाह नहीं किया है का शपथ-पत्र। | |
| 13 | तलाकशुदा होने पर न्यायालय निर्णय/डिक्री की प्रमाणित प्रति व पुर्नविवाह नहीं किया है का शपथ-पत्र। | |

| | | |
|--------------------------------|--|--|
| 14 | सन्तान संबंधी घोषणा-पत्र। | |
| 15 | विवाहित होने पर दहेज नही लेने सम्बन्धी शपथ पत्र। | |
| 16 | भूतपूर्व सैनिक होने पर सेवानिवृत्ति/सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अनापति प्रमाण पत्र एवं भूतपूर्व सैनिक श्रेणी में पूर्व में राजकीय नियोजन प्राप्त नही होने के संबंध में स्व घोषणा। | |
| 17 | उत्कृष्ट खिलाडी होने पर नियमानुसार सक्षम स्तर से जारी खेल प्रमाण पत्र। | |
| 18 | राजस्थान दिव्यांगजन नियम-2018 के अनुसार मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त निःशक्तता का प्रमाण पत्र। | |
| 19 | पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र एवं इस संबंध में स्वः सत्यापन प्रपत्र। | |
| 20 | सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण पत्र | |
| 21 | राजकीय सेवा/उपक्रम में कार्यरत होने पर नियोक्ता अधिकारी द्वारा जारी अनापति प्रमाण पत्र | |
| 22 | अन्य आवश्यक दस्तावेज | |
| कुल संलग्नकों की संख्या | | |

अभ्यर्थियों के दिशा निर्देशों हेतु हैल्प-लाइन तथा ई-मेल की सुविधा :

अभ्यर्थी अपने आवेदन के विषय में किसी भी प्रकार के मार्गदर्शन/सूचना/स्पष्टीकरण के लिए सभी कार्य दिवसों में प्रातः 09:30 बजे से सायं 06:00 बजे के मध्य, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर पर व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर सकते हैं अथवा हेल्पलाईन नम्बर:-0151-2544043 पर कार्यालय समय में सम्पर्क कर सकते हैं तथा विभागीय वेबसाईट पर समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों का अवलोकन कर सकते हैं।


 (गौरव अग्रवाल)
 आइ.ए.एस.
 निदेशक
 माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
 बीकानेर



RNS EDUCATION
News

कार्यालय-निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

सहायक अध्यापक, लेवल-प्रथम व सहायक अध्यापक, लेवल-द्वितीय संविदा भर्ती, 2023 अन्तर्गत गैर अनुसूचित क्षेत्र हेतु सहायक अध्यापक, लेवल-प्रथम व सहायक अध्यापक, लेवल-द्वितीय (अंग्रेजी/गणित) के पदों पर भर्ती हेतु विज्ञापित पदों का पदवार/विषयवार एवं जिलेवार संख्यात्मक विवरण:-

विज्ञापन संख्या:-01/2022-23 दिनांक: 15.01.2023

| S.NO. | DISTRICT | सहायक अध्यापक, लेवल-प्रथम | सहायक अध्यापक, लेवल-द्वितीय (अंग्रेजी) | सहायक अध्यापक, लेवल-द्वितीय (गणित) |
|--------------|----------------|------------------------------|---|---------------------------------------|
| 1 | AJMER | 141 | 36 | 36 |
| 2 | ALWAR | 370 | 92 | 92 |
| 3 | BARAN | 130 | 16 | 16 |
| 4 | BARMER | 229 | 43 | 43 |
| 5 | BHARATPUR | 380 | 54 | 54 |
| 6 | BHILWARA | 263 | 37 | 37 |
| 7 | BIKANER | 261 | 83 | 83 |
| 8 | BUNDI | 99 | 17 | 17 |
| 9 | CHITTORGARH | 175 | 38 | 38 |
| 10 | CHURU | 267 | 49 | 49 |
| 11 | DAUSA | 181 | 48 | 48 |
| 12 | DHOULPUR | 109 | 24 | 24 |
| 13 | SRI GANGANAGAR | 256 | 13 | 13 |
| 14 | HANUMANGARH | 282 | 46 | 46 |
| 15 | JAIPUR | 597 | 141 | 141 |
| 16 | JAISALMER | 62 | 14 | 14 |
| 17 | JALORE | 263 | 13 | 13 |
| 18 | JHALAWAR | 31 | 13 | 13 |
| 19 | JHUNJHUNU | 267 | 72 | 72 |
| 20 | JODHPUR | 441 | 50 | 50 |
| 21 | KAROULI | 167 | 36 | 36 |
| 22 | KOTA | 17 | 8 | 8 |
| 23 | NAGOUR | 286 | 64 | 64 |
| 24 | PALI | 210 | 32 | 32 |
| 25 | RAJSAMAND | 238 | 28 | 28 |
| 26 | SAWAI MADHOPUR | 129 | 18 | 18 |
| 27 | SIKAR | 576 | 83 | 83 |
| 28 | SIROHI | 81 | 20 | 20 |
| 29 | TONK | 84 | 23 | 23 |
| 30 | UDAIPUR | 78 | 8 | 8 |
| TOTAL | | 6670 | 1219 | 1219 |

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

